



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2267]
No. 2267]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 16, 2012/कार्तिक 25, 1934
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 16, 2012/KARTIKA 25, 1934

पर्यावरण और वन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2012

New Delhi, the 16th November, 2012

का.आ. 2746(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 6 की उप-धारा (1) और उप-धारा (3) तथा धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित व्यक्तियों को, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए या उनके पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के विशेषज्ञ सदस्यों के रूप में नियुक्त करती है, अर्थात् :—

S.O. 2746(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of Section 6 and Section 7 of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010), the Central Government hereby appoints the following persons as the Expert Members of the National Green Tribunal with effect from the date of publication of this notification for a period of five years or till they attain the age of sixty-five years, whichever is earlier, namely :—

1. श्री प्रमोद चन्द्र मिश्रा, श्रीराम विहार, पोस्ट ऑफिस जागृति विहार-768020, बुवला, जिला सम्बलपुर, ओडिशा।
2. श्री पी. सत्यनारायण राव, फ्लेट नं. 301, ज्योति मेडोज अपार्टमेंट्स, वाइट फील्ड्स, कोंडापुर, हैदराबाद-500004 (आन्ध्र प्रदेश)।

1. Shri Pramod Chandra Mishra, At : Sriram Vihar, P.O. Jagruti Vihar, P.S. Buvla, Sambalpur-768020, Odisha.
2. Shri P. Satyanarayana Rao, Flat No. 301, Jyothi Meadows Apartments, White Fields Kondapur, Hyderabad-500084, Andhra Pradesh.

[फा. सं. 17(5)/2010-पीएल/एनजीटी (वोल्यूम VI)]

[F. No. 17(5)/2010-PL/NGT (Vol. VI)]

सुरजीत सिंह, संयुक्त सचिव

SURJIT SINGH, Jt. Secy.